फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला–उदयपुर

प्रार्थी : श्रीमती भंवरी देवी **विपक्षी : राज्य**

किस्म मुकदमा – 75 भू.रा. अधिनियम **पत्रावली संख्या : 13/21**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक : 14.12.2021

पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान–2021 कैम्प ढुंढिया में अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र पेश करने पर दर्ज रजिस्टर होकर पेश हुई। तहसीलदार मावली से जांच रिपोर्ट प्राप्त की गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। नामान्तरकरण सं. 1356 का अवलोकन किया। अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रकरण में प्रार्थीयां के पिता धन्ना बलाई की मृत्यु हो चुकी है, जिसका विरासत का नामान्तरकरण ग्राम पंचायत ढुंढिया द्वारा दिनांक 16.01.2014 को पारित किया गया, जिसमें ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तरकरण स्वीकृत करते समय प्रार्थीया का नाम दर्ज नहीं कर धन्ना के अन्य वारिसों के नाम नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया है, जबकि प्रार्थीयां धन्ना की विधिक वारिस होकर उसकी पुत्री होने से धन्ना के नाम भूमि में अपने हिस्से अनुसार नाम दर्ज कराये जाने का निवेदन किया। उक्त नामान्तरकरण के अवलोकन से नामान्तरकरण ग्राम पंचायत ढुंढिया द्वारा दिनांक 16.01.2014 को पारित किया गया हैं। प्रकरण के अवलोकन से प्रकरण में उक्त नामान्तरकरण ग्राम पचांयत द्वारा पारित किया गया है जिसमें विरासत के आधार पर धन्ना के वारिसों के नाम नामान्तरकरण पारित किया है, जिसमें प्रार्थीया भंवरीदेवी का नाम दर्ज नहीं किया गया हैं। प्रार्थीया द्वारा मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र व जन्म प्रमाण पत्र पेश किये हैं। पटवारी द्वारा पर्चा मौका बनाया जिसमें भी भंवरीदेवी को धन्ना की पुत्री बताया हैं। चूंकि प्रकरण में ग्राम पंचायत ढुंढिया द्वारा नामान्तरकरण संख्या 1356 पारित किया है वह त्रुटि पूर्ण हैं जिससे अपीलान्ट को भारी असुविधा का सामना करना पड रहा हैं। ग्राम पंचायत ने उक्त नामान्तरकरण को पारित करने में विधिक भूल की हैं, जिसे सुधारा जाना आवश्यक हैं। अतः उक्त अपील अपीलाण्ट न्यायहित में आंशिक स्वीकार की जाती है।

–: <u>आदेश</u> :–

परिणामस्वरूप अपील अपीलाण्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती हैं, कि ग्राम पंचायत ढुंढिया द्वारा पारित नामान्तरकरण सं. 1356 दिनांक 16.01.2014 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार मावली को प्रतिप्रेषित (रिमाण्ड) किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में धन्ना पिता जेराम बलाई के विधिक वारिसों की जांच करते हुए साक्ष्य गवाह बयान आदि के आधार पर नामान्तरकरण पारित करने की कार्यवाही करे। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2022.01.03 13:36:16 IST
Reason: SelfAttested

(मयंक मनीष I.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली